मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्र. 6439 / 22 / वि-9 / आरजीएम / 2009 भोपाल दिनांक 11/6/09
प्रति

कलेक्टर
नोडल अधिकारी, जल अभिषेक अभियान,
एवं सचिव, जिला स्तरीय जल अभिषेक समिति,
जिला — समस्त
मध्यप्रदेश

विषयः जल **अभिषेक अभियान** के अंतर्गत **"हरियाली महोत्सव – 2009"** के **क्रियान्वयन** के संबंध में।

1. **पृष्ठभूमि** :—

विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी **मानसून सत्र के दौरान वृक्षारोपण कर हरियाली महोत्सव** आयोजित किया जाना है। इस वर्ष हरियाली महोत्सव के अंतर्गत पूर्व वर्षों में किये गये वृक्षारोपण का सुदृढ़ीकरण (Consolidation) किया जाना है। सुरक्षा के लिए बागड़ (फेसिंग / ट्री—गार्ड) और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने पर नवीन वृक्षारोपण भी किया जा सकता है। **हरियाली महोत्सव के संपूर्ण आयोजन व नियोजन के लिए जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी होंगे। वे जिला पंचायत के समन्वय से हरियाली महोत्सव–2009 को मूर्तरूप देंगे।**

प्राथमिकता अनुरूप जिला स्तरीय रणनीति तैयार करना :—

मानसून सत्र के दौरान हरियाली महोत्सव – 2009 हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के अंतर्गत निम्न प्राथमिकता क्रम में वृक्षारोपण किया जाना है :—

2.1 विगत हरियाली महोत्सवों में किये गये ऐसे खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation) एवं पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण (Row Plantation), जिनकी सुरक्षा के लिए बागड़ (फेसिंग / ट्री—गार्ड) और सिंचाई के लिए संपूर्ण वर्ष हेतु पानी की सुनिश्चित

व्यवस्था/जल स्त्रोत विकसित किया गया है, का चिन्हांकन किया जाकर उनके मृत पौधों के स्थान पर नवीन पौधे लगाये जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है।

2.2 ग्राम पंचायतों में ऐसा क्षेत्र जहां पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से वृक्षारोपण उपयुक्त होगा तथा वृक्षारोपण व इसके रख रखाव हेतु ग्रामीण समुदाय सहमत हैं और **इस क्षेत्र में लगाये जाने वाले पौधों की सुरक्षा हेतु बागड़ (फेंसिंग/ट्री–गार्ड) और संपूर्ण वर्ष हेतु सिंचाई के लिए पानी की सुनिश्चित व्यवस्था/जल स्त्रोत विकसित किया जा चुका है/उपलब्ध है,** वहां **खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation)** के रूप में नवीन **सघन वृक्षारोपण किया जाना है।**

2.3 **ऐसे पात्र हितग्राही** (संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार – उदाहरणस्वरूप रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत नंदन फलोद्यान उपयोजना के हितग्राही) जिनके लिए **लगाये जाने वाले पौधों की सुरक्षा हेतु बागड़ (फेंसिंग/ट्री–गार्ड) और संपूर्ण वर्ष हेतु सिंचाई के लिए पानी की सुनिश्चित व्यवस्था/जल स्त्रोत विकसित किया जा चुका है/उपलब्ध है,** वहां खण्ड वृक्षारोपण (Block Plantation) अथवा पंक्तिबद्ध वृक्षारोपण (Row Plantation) के रूप में नवीन वृक्षारोपण किया जा सकता है।

अतः जिला स्तरीय जल अभिषेक समिति की बैठक शीघ्र आयोजित कर उक्त प्राथमिकता क्रम के अनुसार हरियाली महोत्सव–2009 की आयोजना व क्रियान्वयन की रणनीति निर्धारित कर लें।

3. **क्रियान्वयन के प्रक्रियात्मक पहलू** :–

हरियाली महोत्सव – 2009 में निम्न प्रक्रियात्मक पहलुओं का विशिष्ट ध्यान रखा जाये :–

3.1 ग्रामवार प्रत्येक प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु दीर्घकालिक आयोजना (जिसमें वर्तमान वर्ष में वृक्षारोपण एवं आने वाले वर्षों में सुरक्षा, रख रखाव, सिंचाई, उर्वरक खाद आदि की व्यवस्था शामिल होगी) अनिवार्यतः तैयार की जावे। इन आयोजना के आधार पर सभी जिले **अनुलग्नक – 1** में दर्शाये गये प्रपत्र में हरियाली महोत्सव – 2009 की **समेकित कार्य योजना तैयार करेंगे और यह कार्य योजना दिनांक 15.6.2009 तक ईमेल : devcomm@mp.nic.in** पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को प्रेषित करेंगे।

हरियाली महोत्सव–2009 हेतु वृक्षारोपण के लिए विभिन्न आदानों की पूर्ति तथा व्यवस्थाओं हेतु पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्न योजनाओं से निर्धारित प्रावधानों अनुसार वित्तीय नियोजन किया जा सकता है :–

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – मध्यप्रदेश
- जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन मिशन की जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन परियोजनायें (केवल परियोजना क्षेत्र में स्वीकृत ग्रामों हेतु)
- एस.जी.एस.वाय. के वृक्षारोपण के स्पेशल प्रोजेक्ट
- मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना (केवल परियोजना क्षेत्र में स्वीकृत ग्रामों हेतु)

हरियाली महोत्सव –2009 के प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु उपरोक्त वित्तीय स्त्रोतों से नियोजन उपरांत संबंधित योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रशासकीय एवं तकनीकी अनुमोदन अनिवार्यतः प्रदान किया जाये।

3 प्रस्तावित वृक्षारोपण करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसी का स्पष्ट निर्धारण किया जाये और इस क्रियान्वयन एजेंसी को गुणवत्तापूर्ण पौध रोपण तथा रोपण के पश्चात रख रखाव व सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा जाये। क्रियान्वयन एजेंसियों को वृक्षारोपण के विभिन्न तकनीकी पहलुओं तथा रोपण के पश्चात सुरक्षा और रख रखाव (सिंचाई, निदाई, गुड़ाई, खाद व कीटनाशक इत्यादि) की व्यवस्था (Post Plantation Arrangements) इत्यादि का प्रशिक्षण दिया जाये। क्रियान्वयन एजेंसी को स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाये कि वृक्षारोपण के असफल होने पर व्यय राशि की वसूली उनसे की जायेगी।

3.4 मानसून पूर्व क्रियान्वयन एजेंसियां महत्वपूर्ण तैयारियां जैसे भूमि/क्षेत्र/हितग्राही का चयन, वृक्षारोपण हेतु प्रजातियों का चयन, प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या का आकलन व उच्च गुणवत्ता के पौधे के प्रदाय हेतु नर्सरी से नियमानुसार समन्वय तथा भूमि की तैयारी इत्यादि समय पर कर लिया जाये। भूमि की तैयारी व प्रजातियों के चयन में तकनीकी मापदण्डों का ध्यान रखा जाये।

3.5 **प्रत्येक जिले में मानसून प्रारंभ होने पर जिले के प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित कर हरियाली महोत्सव–2009 की शुरूआत समारोहपूर्वक की जाये।** इस अवसर पर रैली भी आयोजित की जा सकती है। तदोपरांत क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तावित पौध रोपण का कार्य मानसून सत्र के दौरान **अच्छी बारिश होने पर ही** किया जाये। अल्पवर्षा अथवा सूखे की स्थिति में जब तक सिंचाई के लिए समुचित पानी की व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती, तब तक वृक्षारोपण नहीं किया जाये।

3.6 **पौधों के क्रय में पूर्ण पारदर्शिता बरती जानी चाहिए।** पौधों का क्रय केवल शासकीय विभागों की शासकीय नर्सरियों में विकसित किये गये गुणवत्तापूर्ण पौधों में से किया जा सकेगा। **किसी भी स्थिति में अथवा किसी भी माध्यम अथवा प्रणाली के द्वारा गैर शासकीय निजी नर्सरियों/शासकीय विभागों द्वारा अधिकृत निजी नर्सरियों से पौधों का क्रय नहीं करना है।** क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा क्रय किये गये पौधों का प्रदायकर्ता विभाग/संस्था/नर्सरीवार संपूर्ण विवरण (प्रजाति, संख्या, दर इत्यादि) स्पष्ट रूप से संधारित किया जाये। **इन विभाग से संकलित जानकारी के अनुसार उनकी विभिन्न नर्सरियों में उपलब्ध पौध व प्रजातियों का विवरण अनुलग्नक – 2 पर है तथा संपर्क अधिकारियों का विवरण अनुलग्नक –3 पर है। जिले अपनी आवश्यकता के आधार पर गुणवत्ता परीक्षण के उपरांत इन नर्सरियों से भी पौधों की व्यवस्था कर सकते हैं।**

3.7 लगाये जाने वाले पौधों की गुणवत्ता से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाये। नर्सरी से पौधे क्रय करने के पूर्व एवं नर्सरी से प्राप्त होने पर उनकी गुणवत्ता का परीक्षण विशेषज्ञ द्वारा करवाया जाये। पौधों के गुणवत्तापूर्ण एवं तकनीकी मानदण्डों के अनुरूप पाये जाने पर ही इनका रोपण किया जाये। गुणवत्ताहीन पौधे क्रय करने अथवा लगाये जाने पर संबंधित क्रियान्वयन एजेंसी उत्तरदायी होगी।

3.8 रोपित किये गये पौधों की सुरक्षा और रख रखाव (सिंचाई, निदाई, गुड़ाई, खाद व कीटनाशक इत्यादि) की सुनिश्चित व्यवस्था (Post Plantation Arrangements) की जाये, ताकि पौधों की उत्तरजीविता का न्यूनतम प्रतिशत 70%-- 75% हो। रोपित

पौधों के रख रखाव का दायित्व ग्राम पंचायतों अथवा स्वसहायता समूहों को सौंपा जाये।

3.9 संपादित वृक्षारोपण कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों जैसे कहां वृक्षारोपण किया गया (हल्का नंबर तथा खसरा नंबर), किस प्रजाति के कितने पौधे लगाये गये, कितनी राशि का व्यय (मदवार अर्थात मजदूरी पर, सामग्री पर, फेंसिंग पर इत्यादि) हुआ इत्यादि का विधिवत् रिकार्ड व लेखा संधारण कराया जाये, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

3.10 हरियाली महोत्सव के वृक्षारोपण की नियमित मॉनिटरिंग की जाये। जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों के रोस्टर बनाकर विभिन्न पहलुओं नामतः भूमि की तैयारी, प्रजाति चयन, नर्सरी की व्यवस्था, पौधों की गुणवत्ता, पौधों के रोपण, सिंचाई व रख रखाव की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था इत्यादि की मॉनिटरिंग कराई जाये। जहां कहीं भी कोई कमी पाई जाती है तो इसका तत्काल निराकरण कराया जाये।

4 <u>रिपोर्टिंग</u> :-

हरियाली महोत्सव – 2009 की रिपोर्टिंग के लिए **अनुलग्नक** – **4** में दर्शाये गये प्रपत्र में जानकारी तैयार कराकर वेबसाईट :/www.**jalabhishek.org** पर प्रत्येक पखवाड़े (माह की 15 व 30 अथवा 31 तारीख को) की अंतिम तारीख तक अंकित करें।

कृपया उपरोक्तानुसार हरियाली महोत्सव – 2009 की आयोजना एवं क्रियान्वयन हेतु आवश्यक समन्वय व नियोजन करने का कष्ट करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

(अनिल श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

8

क्र. 6440 / 22 / वि–9 / आरजीएम / 2009 भोपाल दिनांक 11/6/09

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की ओर सूचनार्थ
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. संभाग आयुक्त, समस्त मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनिल श्रीवास्तव)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल

अनुलग्नक – 1

जिला स्तर पर हरियाली महोत्सव–2009 की समेकित कार्य योजना हेतु प्रपत्र

क्र.	विकासखण्ड का नाम	ग्राम पचांयत का नाम	ग्राम का नाम	ग्राम के उन स्थलों का विवरण जहां वृक्षारोपण किया जाना है		वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजाति के नाम	रोपित किये जाने वाले पौधों की प्रजातिवार संख्या	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई हैं	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु सिंचाई के लिए पानी की क्या व्यवस्था की गई है	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियुक्त क्रियान्वयन एजेंसी	प्रस्तावित वृक्षारोपण का दायित्व किसे सौंपा जायेगा
				हल्का नं.	खसरा नं.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
योग												

अनुसंधान विस्तार वृत्तों की रोपणियों मे दिनांक 31–03–09 की स्थिति मे उपलब्ध पौधों की प्रजातिवार जानकारी

वृत्त का नाम	जिले का नाम	रोपणी का नाम	उपलब्ध पौधों का प्रजातिवार विवरण (सरक्षा, इगाट मे)														
			ग्राफ्टेड आंवला	6' बड़े पौधे	थैली के पौधे							सागौन रूट शूट	सागौन रूट ट्रेनर मे	योग	बांस राईजोम	अन्य पौधे बेड के (नंगे)	
					आंवला	सागौन	बांस	नीम	रतनजोत	फलदार (आंवला छोड़कर)	अन्य						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
सिवनी	सिवनी	बाम्हनदेही	5	3	19	5	28	14	0	13	245	0	0	332	270	0	602
		रिसर्च रोपणी बाम्हनदेही	0	8	0	0	50	0	0	1	156	41	0	256	200	0	456
		आमगांव	0	10	0	0	0	0	0	0	0	93	0	103	0	0	103
		नान्हीकन्हार	0	13	0	86	4	0	0	8	112	0	0	223	200	0	423
		दुधिया	0	8	2	0	30	0	0	2	2	52	0	96	0	0	96
		जेवनारा	0	3	2	2	15	0	0	6	7	24	0	59	16	0	75
		सोनखार	0	0	3	1	0	0	0	0	1	0	0	5	700	0	705
		नांदी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	225
		योग :– सिवनी जिला	5	45	26	94	127	14	0	30	523	210	0	1074	1611	0	2685
	छिंदवाड़ा	पेंआमा	0	14	22	5	33	0	0	2	80	136	0	292	270	0	562
		खुटामा	0	5	8	28	18	0	0	1	20	39	0	119	0	0	119
		अंखावाड़ी	0	10	2	15	2	8	0	3	45	68	0	153	0	0	153
		योग :–छिंदवाड़ा जिला	0	29	32	48	53	8	0	6	145	243	0	564	270	0	834
	बालाघाट	आर.एफ.–3	0	0	1	3	70	0	0	4	43	15	0	136	480	0	616
		आर.एफ.–1	0	2	0	130	10	0	0	0	0	85	0	227	600	0	827
		रोपणी बालाघाट	0	0	22	0	1	0	0	1	1	0	0	25	0	0	25
		योग :–बालाघाट जिला	0	2	23	133	81	0	0	5	44	100	0	388	1080	0	1468
	नरसिंहपुर	बरमान	0	7	23	10	64	12	0	51	26	9	0	202	0	0	202
		श्यामनगर	0	21	8	0	0	0	0	9	126	65	0	229	0	0	229
		योग :–नरसिंहपुर जिला	0	28	31	10	64	12	0	60	152	74	0	431	0	0	431
महायोग अ0वि0 सिवनी :–			5	104	112	285	325	34	0	101	864	627	0	2457	2961	0	5418
रतलाम	रतलाम	सागौद रोड, रतलाम	0	6	4	0	0	17	0	16	20	2	0	65	20	4	89
		बिबड़ोद	0	3	8	0	4	10	0	4	35	7	0	71	10	3	84
		जवाहर नगर, रतलाम	0	0	3	0	13	18	0	10	10	4	0	58	0	0	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	शहडोल	समधिन	35	35	72	177	49	42	106	144	38	25		653	336	[illegible]
	उमरिया	गढ़िगवा			8	67	72			8	23			178	300	[illegible]
	सीधी															
महायोग अ0वि0 वृत्त रीवा			35	120	190	311	389	187	130	628	385	25	10	2255	2284	108
इन्दौर	इन्दौर	डेमोरोपणी	0	28	24	8	16	49	16	43	91	0	0	275	0	0
		रेसीडेन्सी	0	34	21	0	37	13	3	42	196	0	0	346	12	0
		मल्हाराश्रम	0	6	27	0	5	9	2	16	103	0	0	168	16	0
		भैरूघाट	0	7	13	0	0	25	0	11	27	0	0	83	160	0
		बड़गोंदा	1	34	94	1	244	182	0	114	228	360	0	1258	648	0
		देजलपुर	0	1	10	0	43	39	0	16	57	0	0	166	0	0
		किशनपुरा	0	1	12	0	23	27	0	9	106	0	0	178	0	0
		योग	1	111	201	9	368	344	21	251	808	360	0	2474	836	0
	देवास	चन्द्रकेशर	0	7	41	159	104	166	0	147	52	135	0	811	568	0
		बरोठा	0	8	41	9	30	64	0	103	198	25	0	478	590	0
		बावडीखेड़ा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	767	0
		योग	0	15	82	168	134	230	0	250	250	161	0	1290	1925	0
महायोग अ0वि0 वृत्त इंदौर –			1	126	283	177	502	574	21	501	1058	521	0	3764	2761	0
बैतूल	बैतूल	कालापाठा	0	15	8	27	43	0	2	35	15	0	0	145	39	0
		खकरापुरा	5	5	117	9	50	27	300	78	89	0	0	680	671	0
		नवीन नीमपानी	0	14	0	12	0	0	0	0	7	10	0	43	680	0
		राजडोह	0	3	1	6	6	2	95	50	32	0	0	195	4351	0
		आरोग्य वाटिका	0	3	19	7	16	1	0	86	22	0	0	154	45	0
		बागदेव	0	0	0	0	0	7	0	13	7	0	0	27	0	0
महायोग अ0वि0 वृत्त बैतूल –			5	40	145	61	115	37	397	262	172	10	0	1244	5786	0
ग्वालियर	ग्वालियर	ग्वालियर	0	3	9	2	69	3	3	41	50	43	0	223	0	9
		दतिया	0	13	35	3	13	26	2	60	101	55	0	307	314	85
		शिवपुरी	0	0	0	0	4	5	2	16	13	0	0	40	99	0
		गुना	4	9	45	0	9	1	0	19	7	50	0	144	116	3
		भिण्ड	0	14	25	1	3	14	64	5	54	0	0	179	553	2
		मुरैना	0	13	17	3	8	25	0	71	89	85	0	312	160	0
महायोग अ0वि0 वृत्त ग्वालियर –			4	52	132	9	106	73	71	211	314	234	0	1206	1242	[illegible]
सागर	सागर	सिरौंजा	0	0	39	0	0	2	0	5	6	0	0	52	0	[illegible]
	सागर	पथरिया	0	0	0	0	10	5	0	10	0	0	0	25	0	[illegible]
	सागर	बहरोल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	सागर	चौरई	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
सागर	अण्डेला	0	0	12	0	0	0	0	51	127	0	0	190	0	0	190
सागर	चकरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमोह	नोहटा	0	0	30	0	38	0	0	15	67	0	0	150	0	0	150
छतरपुर	पाण्डाझिर	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	100	0	0	100
छतरपुर	गज	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टीकमगढ	कुण्डेश्वर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
टीकमगढ	पिपरौट	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग अ०वि० वृत्त सागर –		0	0	81	0	48	7	0	81	300	0	0	517	0	0	517
झाबुआ झाबुआ	देवझिरी	0	3	3	2	54	11	99	9	98	0	0	279	664	0	943
	मेघनगर	0	4	8	0	16	6	0	3	75	0	0	112	38	0	15[illegible]
	मौजीपाडा	3	5	81	4	3	8	100	17	30	0	0	251	80	0	33[illegible]
	अनास	0	5	27	17	108	49	0	25	205	95	0	531	225	0	75[illegible]
	मोरडूंगरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	0	150	0	0	15[illegible]
	मन्नाकुआ	0	1	45	24	12	5	0	14	42	0	0	143	0	0	14[illegible]
	डाब्या	0	0	10	12	47	2	0	3	42	0	0	116	0	0	1[illegible]
धार	माही	0	6	25	17	52	8	0	36	162	0	0	306	0	0	3[illegible]
	नटनागरा अ	0	6	21	62	85	10	0	32	134	0	0	350	984	0	1[illegible]
	नटनागरा ब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	0	[illegible]
	खानपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	61	0	0	
	रामपुरा	0	5	28	31	90	12	0	26	213	0	0	405	300	0	
महायोग अ०वि० वृत्त झाबुआ –		3	35	248	169	467	111	199	165	1062	245	0	2704	2451	0	[illegible]
खण्डवा खण्डवा	निमाड़ क्लब रोपणी	5	73	32	5	13	13	0	102	155	0	0	320	0	20	
	योग निमाड रोपणी	5	73	32	5	13	13	0	102	155	0	0	320	0	20	
	आबना रोपणी	10	51	19	2	0	10	0	125	32	0	0	187	100	0	
	योग आबना रोपणी	10	51	19	2	0	10	0	125	32	0	0	187	100	0	
	बोरगांव रोपणी	11	7	0	0	200	4	0	51	43	72	0	371	0	0	
	योग बोरगांव रोपणी	11	7	0	0	200	4	0	51	43	72	0	371	0	0	
	आशापुर रोपणी	10	20	178	51	13	7	0	14	24	0	0	287	3840	0	
	योग आशापुर	10	20	178	51	13	7	0	14	24	0	0	287	3840	0	
	कोठी रोपणी	0	0	92	1	79	58	0	38	16	0	0	282	0	0	
	योग कोठी रोपणी	0	0	92	1	79	58	0	38	16	0	0	282	0	0	
	योग खण्डवा जिला	36	151	320	58	305	92	0	329	270	72	0	1447	3940	20	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
खण्डवा	बुरहानपुर	मसक रोपणी	10	0	106	76	174	3	0	89	45	0	0	493	600	0	1103
		योग मसक रोपणी	10	0	106	76	174	3	0	89	45	0	0	493	600	0	1103
	खरगोन	भसनेर रोपणी	0	0	90	0	59	31	0	67	105	0	0	352	0	0	352
		योग भसनेर रोपणी	0	0	90	0	59	31	0	67	105	0	0	352	0	0	352
		लाड़वी रोपणी	5	0	113	4	73	86	0	68	29	0	0	374	0	0	379
		योग लाड़वी रोपणी	5	0	113	4	73	86	0	68	29	0	0	374	0	0	379
	योग खरगोन जिला		5	0	203	4	132	117	0	135	133	0	0	725	0	0	731
	बड़वानी	खड़क्या रोपणी	0	0	69	0	8	0	0	22	70	0	0	168	0	0	168
		योग खड़क्या रोपणी	0	0	69	0	8	0	0	22	70	0	0	168	0	0	168
	योग बड़वानी जिला		0	0	69	0	8	0	0	22	70	0	0	168	0	0	168
	कुल योग		51	151	698	139	618	212	0	576	518	72	0	2833	4540	20	7594
महायोग अ0वि0 वृत्त खडवा –			51	151	698	139	618	212	0	576	518	72	0	2833	4540	20	7594
महायोग राज्य –			119	747	3352	1359	3999	1823	1935	4037	6646	3192	22	26871	44646	300	72174